

पत्रावली में शमु खां Mo अलावकश की
और से अचि. श्री चैन सिंह राजपुरोहित
का वकालतनामा पेश, जबकि शमु खां
वाद में पसकार नहीं हैं। उक्त के संबंध
में अचि. वादी स्पष्टीकरण दें। विगत 15
वर्षों से सम्मन पेश नहीं करना न्याय
संगत नहीं है। आज ही सम्मन पेश हो
अन्यथा वाद खारिज समझा जावेगा।

सहायक न्यायाधीश एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (F.I.) जोधपुर

न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाकर
पत्रावली दिनांक 05/03/24 को पेश हो।

Phirokha
सहायक न्यायाधीश एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (F.I.) जोधपुर

05/03/24 पत्रावली पेश। विगत 15 वर्षों से
पत्रावली initial stage पर लेखित है।
लंबे समय से वादी अचि. अनु. बार-
बार आवाजें लगाई गई, वादी की ओर
से कोई उप. नहीं। वाद अदम हाजिरी
अदम पेशी में खारिज फरमाया जाता है।
पत्रावली फेंसल शुमार होकर दारिख-
दफतर हो।

Phirokha
सहायक न्यायाधीश एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (F.I.) जोधपुर

